Drug Tender Round IX - Prebid Meeting **की कार्यवाही**

दिनांक 21.9.2011 को समाचार पत्रों में प्रकाशित निविदा सूचना के अनुसार निर्धारित तिथि दिनांक 24.9.2011 को 11 बजे पूर्वाह्न में Drug Round-IX के औषधियों के दर निर्धारण हेतु इच्छुक निविदादाताओं के साथ Prebid Meeting आयोजित हुई, जिसमें कोर कमिटि के सदस्यों यथा निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ बिहार के प्रतिनिधि के रूप में डा0 उदय चन्द्र मिश्र, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, राज्य औषधि नियंत्रक बिहार के प्रतिनिधि के रूप में श्री रमेश कुमार, सहायक राज्य औषधि नियंत्रक, डा0 बिन्दे कुमार, सहायक चिकित्सा अधीक्षक इंदिरा गाँधी आर्युविज्ञान संस्थान, श्री नौशाद हैदर, प्रोक्योरमेन्ट स्पेशालिस्ट यूनिसेफ के अतिरिक्त डा0 डी0के0 रमण, अपर निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार एवं प्रतिनियुक्त अनुज्ञापन प्राधिकारी, औषधि नियंत्रण प्रशासन श्री हेमन्त कुमार सिन्हा, श्री राकेश नंदन सिंह तथा श्री विकास शिरोमणी, औषधि निरीक्षक विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में उपस्थित हुये।

Pre-bid बैठक में कुल 38 इच्छुक निविदादाता कंपनीयों के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया, जिसकी उपस्थिति संचिका में संधारित कर ली गयी है। श्री नौशाद हैदर, प्रोक्योरमेन्ट स्पेशलिस्ट, यूनिसेफ ने निविदा सूचना को विस्तृत रूप में पढ़ कर सुनाया। बैठक में उपस्थित निविदादाताओं एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा निविदा में प्रकाशित सूचना, product list एवं निविदा सूचना के terms and condition के संबंध में निम्नांकित पृच्छाएँ की गई, जिसके आलोक में बैठक में निम्नांकित निर्णय लिये गये :—

1. M/s Brawn Laboratories Limited, Indore के प्रतिनिधि श्री रूपेश कुमार ने कहा कि Central Government में Blacklisting नहीं होता है, सिर्फ de-registeration की प्रक्रिया अपनायी जाती है।

   इस संबंध में स्पष्ट किया गया कि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के द्वारा प्रकाशित निविदा सूचना के कंडिका 'a' में उल्लेखित है कि "Blacklisted by Central Government, Government of Bihar or SHSB or deregistered/debarred by Government of Bihar/SHSB are barred from participating in this tender" शर्त में किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

2. M/s Omega Biotech Limited, Uttarakhand के प्रतिनिधि श्री शशि रंजन ने पृच्छा किया कि Importer के case में annual turnover किसका होना चाहिए। Importer का या Manufacturer का ?

   उपरोक्त के संबंध में स्पष्ट किया गया कि नियमानुसार Direct Importer ही निविदादाता होते है। ऐसी स्थिति में Importer का ही Audited Annual Report टर्नओवर निविदा के साथ संलग्न होगा।

3. M/s Omega Biotech Limited, Uttarakhand के प्रतिनिधि श्री शशि रंजन द्वारा पुनः पृच्छा किया गया कि Importer के case में Manufacturer का Manufactuirng License चाहिए अथवा नही?

   उपरोक्त के संबंध में स्पष्ट किया गया कि Importer के case में Importer का विगत तीन वर्ष पुराना Import License एवं Importer के Original Manufacturer का तीन वर्ष पुराना निर्माण अनुज्ञप्ति निविदा के साथ संलग्न होना चाहिए।

4. M/s Biochem Pharmaceuticals Limited के प्रतिनिधि श्री ए0 के0 श्रीवास्तव, M/s Jajoo Surgicals Pvt. Limited के प्रतिनिधि श्री पी0 के0 सिन्हा एवं M/s Nexus Life Sciences India Pvt. Limited के प्रतिनिधि श्री एन0 के0 जैन ने अनुरोध किया कि Short Tender Notice में Market Standing Certificate निविदा सूचना मे दिये गये प्रपत्र में जमा करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाये, क्योंकि समय कम है एवं इस प्रकार का प्रमाण पत्र संबंधित राज्य के औषधि नियंत्रण विभाग से प्राप्त करने में काफी समय लगने की संभावना है।

   सर्वप्रथम प्रार्थी को इस बात से अवगत कराया गया कि यह Pre-bid meeting Drug Tender Round-IX के लिए आयोजित की गयी है Short tender के लिए नही।

   फिर भी उपरोक्त के संबंध में कोर कमिटि के सदस्य एवं उपस्थित औषधि नियंत्रण प्रशासन के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि Market Standing Certificate विहित प्रपत्र में निविदा शर्त के अनुरूप ही निविदा के साथ संलग्न होना चाहिए। अगर किसी राज्य

के औषधि नियंत्रण प्रशासन द्वारा विहित प्रपत्र में Market Standing Certificate निर्गत नहीं किया जाता है, तो वैसी स्थिति में किसी अन्य प्रपत्र में भी यह certificate स्वीकार किया जा सकता है, यदि उसमें राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा दिये गये प्रपत्र के अनुरूप सभी सूचनाएँ निहित हो। विहित प्रपत्र के अनुसार सभी वाँछित सूचना नहीं दिये जाने पर अधूरी सूचना वाले Market Standing certificate स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

5- M/s Multilax Pharmaceuticals Pvt. Limited के प्रतिनिधि श्री कार्तिक जायसवाल ने पृच्छा किया कि WHO-GMP वाले निविदादाता निर्माण संस्थान को अधिमान्यता दिया जायेगा अथवा नही?

उपरोक्त के संबंध में कोर कमिटि के सदस्य एवं उपस्थित औषधि नियंत्रण प्रशासन के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि निविदा शर्त के कंडिका 'd' के अनुसार निविदादाता निर्माण प्रतिष्ठान के द्वारा GMP अथवा WHO-GMP समर्पित किया जाना अनिवार्य है एवं दोनों की मान्यता एक समान है।

6. M/s Jajoo Surgicals Pvt. Limited के प्रतिनिधि श्री पी0 के0 सिन्हा ने पृच्छा किया कि Annual Audited Report 2007-08, 2008-09 2009-10 के स्थान पर 2008-09, 2009-10, 2010-11 की माँग की जाये।

उपरोक्त के संबंध में कोर कमिटि के सदस्यों ने निर्णय लिया कि Annual Audited Report 2007-08, 2008-09, 2009-10 अथवा 2008-09, 2009-10, 2010-11 वित्तीय वर्ष में देने वाले निविदादाता निर्माता संस्थान को भी मान्य किया जायेगा। परन्तु निविदादाता को Audited Annual Report के वित्तीय वर्ष के समानुरूप Income Tax Return Report यथा 2008-09, 2009-10, 2010-11 अथवा 2009-2010, 2010-11, 2011-2012 तथा Sales Tax Annual Retun Report यथा 2007-08, 2008-09, 2009-10 अथवा 2008-09, 2009-10, 2010-11 समर्पित किया जाना अनिवार्य है।

7. M/s Jajoo Surgicals Pvt. Limited के प्रतिनिधि श्री पी0 के0 सिन्हा ने पृच्छा किया कि शपथ पत्र नोटरी के समक्ष लिया हुआ होने पर भी मान्य किया जाये।

उपरोक्त के संबंध में उपस्थित पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि निविदा में सभी प्रकार के शपथ पत्र प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी यथा– अनुमंडल पदाधिकारी, कार्यपालक दंडाधिकारी, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, न्यायिक दंडाधिकारी आदि के समक्ष लिया हुआ ही मान्य किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जायेगा।

8. M/s Karnataka Antibiotics Limited के प्रतिनिधि श्री ब्रजेश कुमार पाण्डेय ने कहा कि भारत सरकार के प्रतिष्ठान को निविदा की अग्रधन राशि से exemption मिलना चाहिए।

उपरोक्त के संबंध में उपस्थित पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा प्रकाशित निविदा में भारत सरकार के प्रतिष्ठान को अग्रधन राशि से exemption करने की नीति नहीं है। अतः भारत सरकार के प्रतिष्ठान को भी अग्रधन की राशि जमा करना अनिवार्य है।

9. M/s Hindustan Photo Films Limited के प्रतिनिधि श्री अशोक कुमार दास ने कहा कि Power of attorney एवं resolution दोनों में से एक ही माँगा जाये।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्ट किया गया कि Board of Directors की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप ही Power of attorney निर्गत किया जाता है अथवा निविदा समर्पित करने हेतु किसी भी व्यक्ति को प्राधिकृत करने हेतु शक्ति प्रदत्त की जाती है। अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में तत्संबंधी Power of attorney एवं resolution दोनों समर्पित करना अनिवार्य है।

10- M/s Biochem Pharmaceuticals Limited के प्रतिनिधि श्री ए0 के0 श्रीवास्तव, M/s Bharat Serum and Vaccine Limited के प्रतिनिधि श्री ओमप्रकाश पाण्डेय एवं M/s Nexus Life Sciences India Pvt. Limited के प्रतिनिधि श्री एन0 के0 जैन ने कहा कि quoted rate सभी प्रकार के VAT/Sales Tax शुल्कादि सहित नहीं होना चाहिए क्योंकि सरकार द्वारा कर में वृद्धि करने पर निर्माता को काफी कठिनाई होती है।

उपरोक्त के संबंध में उपस्थित पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि quoted rate सभी प्रकार के VAT/Sales Tax/Excise Duty/Custom Duty शुल्कादि सहित ही होना चाहिए जैसा कि निविदा सूचना में उल्लेखित है। उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है।

11. कई उपस्थित निर्माता संस्थान के प्रतिनिधियों ने अनुरोध किया कि Short Tender Notice जिसकी निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 30.9.2011 एवं Drug Tender Round-IX की निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 14.10.2011 को बढ़ाया जाये क्योंकि Short tender के लिए मात्र सात दिनों का समय मिल रहा है तथा Round-IX की अंतिम तिथि के पूर्व दशहरा का अवकाश है।

उपरोक्त के संबंध में उपस्थित पदाधिकारीगण ने कार्यपालक निदेशक महोदय से विमर्शोपरान्त निर्णय लिया कि Short Tender Notice की निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 10.10.2011 एवं Drug Tender Round-IX की निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 21.10.2011 के 3 बजे तक के लिए बढ़ायी जाती है तथा निविदा जमा करने की उक्त अंतिम तिथि को ही संध्या 4 बजे प्राप्त निविदाओं को कोर कमिटि के समक्ष निविदादाताओं की उपस्थिति में खोली जायेगी।

12. बैठक के दौरान Insulin के संबंध में एक कंपनी के प्रतिनिधि के द्वारा पृच्छा की गयी।

इस संबंध में बताया गया कि Essential Drug List में सिर्फ Insulin (soluble) Inj.-40IU/ml राज्य के चिकित्सा महाविधालय अस्पताल के अंतःकक्ष के मरीजों के लिए नामित है। अतः सिर्फ Insulin (soluble) Inj. 40IU/ml का ही दर निर्धारण किया जायेगा, अन्य का नहीं।

13. अंत में उपस्थित निविदादाताओं/निविदादाता फर्मो के प्रतिनिधियों को अवगत करा दिया गया कि बैठक की कार्यवाही एवं सभी संशोधनों को राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के वेबसाईट पर उपलब्ध करा दिया जायेगा।

धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/–
रमेश कुमार
सहायक औषधि नियंत्रक
प्रतिनिधि राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार

ह0/–
डा0 उदय चन्द्र मिश्र
अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ
प्रतिनिधि, निदेशक प्रमुख

ह0/–
डा0 डी0 के0 रमण
अपर निदेशक
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

हेमन्त कुमार सिन्हा
प्रतिनियुक्त अनुज्ञापन प्राधिकारी
औषधि नियंत्रण प्रशासन

नौशद हैदर
प्रोक्योरमेन्ट स्पेशलिस्ट
यूनिसेफ, बिहार

डा0 बिन्दे कुमार
सहायक चिकित्सा अधीक्षक
इंदिरा गाँधी आर्युविज्ञान संस्थान, पटना

विकास शिरोमणी
प्रतिनियुक्त औषधि निरीक्षक
औषधि नियंत्रण प्रशासन

राकेश नंदन सिंह
प्रतिनियुक्त अनुज्ञापन प्राधिकारी
औषधि नियंत्रण प्रशासन